केरल राज्य बनाम टामस
(ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 490)

तथ्य

यह अपील केरल राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई थी और केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1958 के नियम 13 ए.ए.तथा.दो आदेशों की वैधता के सम्बन्ध में थी।

प्रत्यर्थी रजिस्ट्री विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक था : सेवा नियमों के नियम 13 ए के अधीन वरिष्ठता के आधार पर इस संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिकों के उच्च संवर्ग में पदोन्नति दो वर्षों के अन्तर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर थी। नियम 13 ए. ए. और तारीख 13 जनवरी, 1972 तथा 11 जनवरी, 1974 के दो आदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिक अवधि अर्थात दो अतिरिक्त वर्ष की अवधि देने की व्यवस्था थी। प्रत्यर्थी की शिकायत यही थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई इस रियायत को देखते हुए वे प्रत्यर्थी से पहले पदोन्नति प्राप्त करने की स्थिति में थे, हालांकि उन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की थी।

उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी का प्रधान तर्क यह था कि सेवा नियमों का नियम 13 ए. ए. और उसके अधीन दिए गए पदोन्नति के आदेश अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का अतिक्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 16(4) के अलावा, जो कि अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है, 16(1) के अधीन गारन्टीकृत अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, राज्य की दलील थी कि आक्षेपगत नियम और आदेश, न केवल वैध और विधिमान्य हैं, बल्कि अनुच्छेद 16(1) के अधीन सुव्यवस्थित से वर्गीकरण से भी संबंधित हैं।

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इन तर्कों की पुष्टि की कि नियम 13 ए. ए. भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 16(1) का अतिक्रमण करने वाला है और यह अनुच्छेद 16(4) द्वारा अनुमत आरक्षण से परे भी है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने दलील दी कि पहले तो नियम 13 ए. ए. ऐसे आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता, जैसी कि अनुच्छेद 16(4) द्वारा की गई है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने इस नियम को इस आधार पर रद्द करके भूल की है कि यह अनुच्छेद 16(4) द्वारा

अनुमत आरक्षण से परे है। दूसरे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य एक ही जाति के सदस्य होते हैं। जिनका ऐतिहासिक कारणों से अपने आप में एक विशेष वर्ग बन गया है और स्वयं संविधान ने उन्हें एक ऊंचा स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार अनुच्छेद 16(1) राज्य को ऐसा उचित वर्गीकरण करने से नहीं रोकता जिससे कि सेवा को कार्यरूप देने के लिए उन्हें कतिपय रियायतें देकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने सात में से पांच के बहुमत से अपील का अनुमोदन कर दिया।

विवाद्यक (इशू)

(1) मुख्य विवाद्यक यह था कि क्या नियम 13 ए. ए. और दो आदेश अनुच्छेद 16(1) का अधिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक हैं, (2) आनुषंगिक तौर पर यह प्रश्न भी विचारार्थ सामने आया कि क्या अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद (16) 1 का अपवाद है

बहुमत निर्णय

क्या नियम 13 ए.ए. और दो आदेश अनुच्छेद 16 (1) का अतिक्रण करने के कारण असंवैधानिक है। इस बारे में बहुमत राय में मुख्य विवादक का उत्तर नकार में दिया और चाहे असंवैधानिक नहीं माना।

मुख्य न्यायमूर्ति रे ने विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 16(1) ऐसे तरीके से उचित वर्गीकरण करने की इजाजत देता है, जैसा कि अनुच्छेद 14 में बताए गए तरीके के अनुरूप हो अर्थात् वहां, जहा कि उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से संबंध हो। इस प्रकार नियम 13 ए.ए. के अधीन, जो कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति के लिए विशेष परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से छूट देता है। इन सदस्यों का वर्गीकरण ''सभी नागरिकों की सरकारी कार्यालय में सेवा योजना या नियुक्ति संबंधी मामलों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध रखने के कारण उचित और युक्तियुक्त है।'' उन्होंने नोट किया कि इस वर्ग को ऐसी अस्थायी छूट काफी पहले, यानी 1 नवम्बर, 1956 को दी गई थी, जो केरल में सेवा शर्तो के प्रारम्भ की तारीख है। अब नियम 13 ए. ए. ने उसे केवल कानूनी आधार दिया है। इसलिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस नियम के अधीन किए गए वर्गीकरण को उचित ठहराती है। स्वयं संविधान में इन लोगों के साथ अनुकूल बर्ताव करने के लिए विभिन्न उपबंधों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 335 यह आदेश देता है कि रोजगार के मामले में इनके दावों पर इस तरह से विचार किया जाए कि वह प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने की दृष्टि से संगत हो। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नियम 13 ए.ए. के अधीन एक अस्थायी अवधि के लिए छूट

दिए बिना उन्हें पर्याप्त पदोन्नति मिलना सम्भव नही होगा। पदोन्नति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन अलबत्ता अभी भी किया जाता है। इस नियम के अधीन अस्थायी रियायत उनके पिछड़ेपन और राज्य सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण न्यायसंगत है। इस प्रकार आक्षेपगत नियम और उसके अधीन दिए गए दो आदेश 335 की परिधि में आते हैं, क्योंकि वे एक असंतुलित सरकारी सेवा को ठीक करने और राज्य सेवा मे सभी जातियों के बीच समता लाने का दावा करते हैं। प्रशासन में दक्षता की कसौटी का कम-से-कम इस दृष्टि से इस नियम के कारण ह्रास नहीं होता कि वह पदोन्नति के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने से हमेशा के लिए छूट नहीं देता, बल्कि केवल दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि की छूट देता है। यदि अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की इजाजत देता है तो अनुच्छेद 16 भी समान रूप से इसकी इजाजत देता है, क्योंकि दोनों में ही समानता की बात कही गयी है। अनुच्छेद 16(1) के अधीन सेवाओं में ''अवसर की समानता'' प्राप्त करने के लिए सरकार सारे विधिसम्मत उपाय कर सकती है। अनुच्छेद 16(1) विधि के और उद्देश्य प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण की इजाजत देता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा वर्गीकरण इस दृष्टि से न्यायोचित है कि इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य एक निश्चित सीमा तक पदोन्नति द्वारा सेवाओं, में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के योग्य हुए हैं। उनके साथ ऐसा अलग प्रकार का बर्ताव ''उन्हें दक्षता के अनुरूप समानता देने के प्रयोजन के लिए ''केवल समय की दृष्टि से किया गया है।

ऊपर बताए गए कारणों से उन्होंने नियम 13 ए. ए. और दो आदेशों का संवैधानिक और अनुच्छेद 16(1) का अतिक्रमण न करने वाला बताकर उनकी वैधता की पुष्टि की।

न्यायमूर्ति मैथ्यू ने उचित वर्गीकरण के अलावा राज्य की प्रतिकारात्मक कार्रवाई पर बल दिया। उनका विचार था कि ''यद्यपि अवसर की पूरी समानता का होना असम्भव है.....प्रतिकारात्मक स्वरूप के ऐसे उपाय जिनका अवसर की समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारणीय बाधाओं में कमी करने के लिए हिसाब बताया जाता है, कभी भी अनुच्छेद 16(1) के विरुद्ध नहीं हो सकते।''

मुख्य न्यायमूर्ति रे की तरह, उन्होंने भी अनुच्छेद 335 का उल्लेख किया, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की राज्य सेवाओं में दक्षता बनाए रखने की दृष्टि से संगत पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करने के योग्य बनाता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय में ''प्रतिकारात्मक राज्य कार्रवाई'' के विचार का हवाला दिया और '''ऐसा कोई कारण नहीं पाया, जिसकी वजह से न्यायालय को राज्य से यह मांग नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसी अनुपातिक समानता का मानक स्वीकार करे, जिसमें नागरिकों के किसी वर्ग की भिन्नतापरक अवस्थाओं और परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता हो....''

''अवसर की समानता'' सुनिश्चित करने के लिए राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने में समर्थ पाने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है और ''उसे प्रतिकारात्मक उपाय के रूप में उचित ठहरा सकता है'', बशर्ते कि वह प्रशासन की दक्षता के पक्ष को न छोड़े।

वे मुख्य न्यायमूर्ति रे से सहमत थे कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 के सदृश वर्गीकरण की इजाजत देता है और नियम 13 ए. ए. में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में दिए गए वर्गीकरण का ''विधि के प्रयोजन के साथ, अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रशासनिक दक्षता के ह्रास के बगैर....पदोन्नति में उन्हें उनका उचित हिस्सा प्राप्त करने के योग्य बनाने से, उचित सम्बन्ध है।''

वे इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायमूर्ति रे के निष्कर्ष से सहमत थे और उन्होंने अपील मंजूर कर ली।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अनुच्छेद 14 में दिए गए वर्गीकरण के अनुसार हीं अनुच्छेद 16(1) के अधीन ''उचित वर्गीकरण'' पर जोर दिया और अनुच्छेद 335 का हवाला दिया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया:-

''इस मामले में वास्तविक से बहुत हीं कम प्रतिनिधित्व प्राप्त और अत्यन्त उपेक्षित वर्गो, जिन्हें अन्यथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कहा गया है, के दावों को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक क्षमता को बनाए रखने की दृष्टि से संगत रूप में उनका उत्थान करना ऐसा उद्देश्य है, जिसे अनुच्छेद 46 और 335 के जरिए संविधान में मान्यता प्रदान की है और जिसे अनुच्छेद 16(1) में उचित स्थान प्राप्त है।''

उन्होंने सावधान किया है कि इस फार्मूला में सारे जातिगत पिछड़ेपन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह अनुच्छेद 16(1) और (2) दोनों का नाशक होगा। वास्तविक भेदभाव के आधार के लिए सामाजिक विषमता तीखी और ठोस होनी चाहिए। केवल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हीं इस वर्ग में आती हैं। यदि अन्य कोई जाति, राजनीतिक या दूसरे प्रकार का दबाव डालकर अनुच्छेद 16(1) और (2) से छूट प्राप्त करती है, तो उसे असंविधानिक भेदभाव का जोखिम उठाना होगा।

उन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, इस चेतावनी के साथ...कि किसी

भी जाति को, भले हीं वह पिछड़ी हुई लगती हो....समस्त नागरिकों के लिए गारन्टीकृत अवसर की समानता की सीमाओं को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती'' अपना निर्णय दिया।

न्यायमूर्ति फजल अली ने भी ''उचित वर्गीकरण'' की संकल्पना पर जोर दिया। उन्होंने कहा:-

अनुच्छेद 16 का खण्ड (1) राज्य के अधीन सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की व्यवस्था करता है.....

समुचित वर्गीकरण करके ऐसा किया जा सकता है, जिससे नागरिकों के प्रत्येक वर्ग की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इससे सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सके।

नियम 13 ए. ए. के संबंध में उनका विचार था कि नियम 13 ए. ए .समाविष्ट करके राज्य के अनुच्छेद 335 में दिए गए आदेश का अतिक्रमण नहीं किया है जैसा कि प्रत्यर्थी और अन्य पदोन्नत व्यक्तियों ने दावा किया है। उन्होंने यह उचित समझा कि नियम 13 ए. ए. में दी गई रियायत अनुच्छेद 16(1) के अधीन उपयुक्त वर्गीकरण के अनुरूप है, उसका अतिक्रमण नहीं करती।

उन्होंने सावधान किया कि न्यायालय को ''सरकार द्वारा किए गए वर्गीकरण की पूरी छानबीन करके इस बात का पता लगाना होगा कि वह समानता की संकल्पना को नष्ट तो नहीं करता। दूसरे शब्दों में, राज्य का समानता की आड़ में पक्षपात या भाई-भतीजावाद का अवलंब लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।''

इस विशिष्ट मामले में उन्होंने सरकार द्वारा नियम 13 ए. ए. के समावेश द्वारा किए गए वर्गीकरण को अनुच्छेद 16 के अधीन उचित माना।

न्यायमूर्ति बेग ने नियम 13 ए. ए. और आदेशों को अनुच्छेद 16(4) के अधीन ''आंशिक और सशर्त आरक्षण'' मानकर उचित ठहराया। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि यदि इस अनुच्छेद में ऐसे उच्च पदों का, जिन पर पदोन्नति हो सकती है, पूरा आरक्षण शामिल किया जा सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके साथ यह शर्त रख दी जाए की अस्थायी पदोन्नति केवल तभी पूर्ण और पुष्ट पदोन्नति मानी जाएगी, जबकि अस्थायी रूप से पदोन्नत व्यक्ति एक निश्चित अवधि के अन्दर कुछ परीक्षाएं पूरी कर लेगा।''

यदि इस नियम और आदेशों को ऐसे सापेक्ष या आंशिक या सशर्त आरक्षण के रूप में देखा जाए, जो अनुच्छेद 335 के अनुरूप पर्याप्त सामान्यता की अपेक्षाओं को पूरा करता है और अनुच्छेद 46 की दृष्टि से देखने पर सामान्यता और न्याय की मांग को पूरा करता है, तो यह नियम और आदेश, उनकी राय में संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन न्यायसंगत होंगे।

उन्होंने टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 198 एस.सी.179 और एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर 1963 एस.सी. 649 के मामलों को अल्प माना, जिनमें अनुच्छेद 16(4) के अधीन अन्तिम या पूर्ण आरक्षण के संबंध में इस आधार पर कसौटियां निर्धारित की गई है, जबकि वर्तमान मामले में मात्र ''आंशिक या अस्थायी या सशर्त आरक्षण की व्यवस्था है।''

वे इस बात से सन्तुष्ट नहीं थे कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय सिद्ध होता है कि आक्षेपगत नियम और आदेश अनुच्छेद 16(4) के क्षेत्र से बाहर है। उनके मत में, प्रत्यर्थी की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए थी एक यह '' अपने विरूद्ध ऐसा भेदभाव, जो संविधान द्वारा समर्थित हो, किए जाने की बात साबित करने का दायित्व पूरा करने में असफल रहा है''। इसी के मुताबिक उन्होंने अपील मंजूर कर ली।

अल्पमत निर्णयः

दूसरी ओर दो न्यायमूर्तियों के विसम्मत निर्णय ने इस मुद्दे का उत्तर सकारात्मक दिया और इस नियम को अनुच्छेद 16(1) का अतिक्रामक बताया।

न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 16(1)रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। यह सबसे कम योग्य और सबसे ज्यादा योग्य - सभी पर सामान्य रूप से लागू होता है। कुल लोगों के साथ तरजीही बर्ताव करना'' अवसर की समानता के सिद्धांत के विपरीत होगा''। इस अनुच्छेद के अधीन अवसर की समानता ऐसी ''अमूर्त या अवास्तविक'' नहीं हैं कि उसे ''कोई आड़ लेकर नष्ट ही कर दिया जाएं।'' किसी वर्ग को दी गई छूट चाहे वह सीमित ही हो, उस वर्ग के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने के समान होगी। उन्होंने यह भी कहा:-

''ऐसे व्यक्तियों के साथ तरजीही बर्ताव करने के प्रयोजन के लिये जिन्हें विभिन्न स्त्रोतों से भरती करने की कोशिश नहीं की गई है, और अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के दायरे में न आने वाले मामलों में वर्गीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रभाव यदि अनुच्छेद 16 के खण्ड (1) में सुरक्षित अवसर

की समानता के वैध सिद्धांत को पूरी तरह से नष्ट करने वाला न हो, तो भी वह इसे काटने वाला तो अवश्य होगा।''

उन्होंने कहा कि अधिक वर्गीकरण करना समानता के महत्व को कम करना है, जैसा कि अनुच्छेद 16(1) के मामले में हुआ है। इस अनुच्छेद में वर्गीकरण की नई-नई परिकल्पनाएं सन्निविष्ट करने का प्रभाव, जैसी कि वर्तमान मामले में कोशिश की गई है, राज्य को वर्गीकरण के वेश में आबादी के अलग-अलग भागों को सरकारी नौकरी के लिये कृपापात्र वर्गों के रूप में मानने को शक्ति देने वाला होगा''। (पृष्ठ 509)

उनका निष्कर्ष यह था कि उक्त नियम और आदेश अनुच्छेद 16(1) के अधीन संवैधानिक दृष्टि से अनुज्ञेय नहीं हैं, क्योंकि इस बात के अलावा, कि वह उक्त अनुच्छेद के अधीन अवसर की समानता के सिद्धांत का अतिक्रमण करेगा, ''वह व्यवहार में उस दृष्टि के विरूद्ध भी होगा, जो अब तक इस न्यायालय ने चम्बकम (ए.आई.आर. 1951 अेस.सी. 226), रंगाचारी (ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 36) और देवदासन (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 179) के मामले में अभिनिर्धारित की थी। पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिये राज्य को अनुच्छेद 16(4) के अधीन व्यापक शक्ति प्राप्त है। उनकी राय में, ऐसा कर पाने में राज्य की असफलता के कारण अनुच्छेद 16(1) का तोड़-मरोड़ कर अर्थ निकालना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने न्यायमूर्ति खन्ना के साथ सहमति व्यक्त करते हुए इस मुद्दे के एक पहलू के संबंध में कुछ बातें और कहीः-

उन्होंने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 16(1)वर्गीकरण की इजाजत तो देता है, परन्तु केवल ऐसे वर्गीकरण की, जो उचित हो। उनकी दृष्टि से निम्न श्रेणी लिपिकों का दो श्रेणियों - वे जो अनुसूचित जातियों ओंर जनजातियों के हैं ओर वे जो ऐसे नहीं है, में उप विभाजन उचित नहीं है। उन्होंने विचार व्यक्त किया।

''अनुच्छेद 16(1) के संदर्भ में, नियम 13-ए द्वारा एक ही वर्ग के कर्मचारियों के बीच उप-वर्ग बनाया जाना, मेरे मत में, केवल वंश और जाति के आधारों पर भेदभाव करने के बराबर है, जो अनुच्छेद 16 के खण्ड (2) के अनुसार निषिद्ध है।''

क्या अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद है?

इस संबंध में बहुमत ने देवदासन के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव की विसम्मति का अनुसरण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति रे महोदय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) मात्र ''यह स्पष्ट और खुलासा करता है कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत नहीं आता और वह अनुच्छेद 16(1) के प्रयोजन के लिये विधिसम्मत है।'' उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 16(4) मात्र अनुच्छेद 16(1) में समाविष्ट समानता प्राप्त करने की एक विधि का संकेत देता है।

न्यायमूर्ति मैथ्यू का विचार था कि अनुच्छेद 16(1) में परिलक्षित ''अवसर की समानता'' केवल परिणामी समानता द्वारा आंकी जा सकती है, केवल शाब्दिक समानता या संख्यापरक परिणाम के रूप में नहीं। उन्होंने कहा:-

''मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 16(4) का निर्वाचन उस स्थिति में अनुच्छेद 16(1) के अपवाद के रूप में किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 16(1) में परिलक्षित अवसर की समानता निष्फल हो और वह संख्या-विषयक समानता की संकल्पना के प्रयोजन से हो, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर कोई विचार नहीं किया जाता। यदि अनुच्छेद 16(1) के अधीन गारन्टीकृत अवसर की समानता का अर्थ प्रभावशाली और सारवान समानता है, तब अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। यह केवल ऐसी सीमा लगाने का एक सुनिश्चित तरीका है, जहाँ तक अवसर की समानता को ले जाया जा सकता है अर्थात यहाँ तक की आरक्षण की व्यवस्था करने के बिन्दु तक इसे ले जाया जा सकता है।''(पृष्ठ 519)

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने माना कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट कथन है। यह मात्र एक ऐसा तरीका है जो ''पिछड़े वर्गो के दावों और ऐसी खुली प्रतियोगिता के अवसर के बीच समन्वय करता है, जिसके लिये उन्नत वर्ग साधारणतया हकदार हो।'' अपने विचार के समर्थन में उन्होंने देवदासन के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव की विसम्मत राय का हवाला भी दिया।

उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि यद्यपि यह सच है कि साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 16(4) एक अपवाद है, परन्तु बारीकी से जांच करने पर इसे''संवैधानिक दृष्टि से शुद्ध वर्गीकरण'' के रूप में देखा जा सकता है। यह कोई व्यावृत्ति खण्ड नहीं है, बल्कि

विषयों को निस्सन्देह स्पष्ट बनाने के लिये प्रारूपकारों की अत्यधिक उत्सुकता के कारण शामिल किया गया है।

न्यायमूर्ति फजल अली ने अनुच्छेद 16(4) को एक ऐसा स्पष्टीकरण माना जिसमें आरक्षण के संबंध में जो वर्गीकरण का ही एक रूप है, जबकि वर्गीकरण के अन्य रूप अनच्छेद 16(1) के अधीन अनुमत हैं, एक व्यापक और अनन्य उपबंध अन्तर्विष्ट है। आरक्षण की व्यवस्था करने वाला अनुच्छेद 16(4) इसी सीमा तक अनुच्छेद 16(1) पर अधिभावी है और अनुच्छेद 16(1) के अधीन कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता। वे इस न्यायालय द्वारा पहले व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत नहीं थे कि खण्ड (4) निम्नलिखित कारणों से अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है:-

पहली बात तो यह है कि इसे अपवाद मान लेने पर केवल यही निष्कर्ष निकलेगा कि अनुच्छेद 16(1) के अधीन किया गया वर्गीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद 14 के अधीन समानता की मूल धारणा के विरुद्ध है, जो कि कतिपय शर्तों के अधीन किसी भी रूप में वर्गीकरण की इजाजत देता है। दूसरे, यदि अनुच्छेद 16(4) में सन्निविष्ट आरक्षण के सिवाय किसी और रूप से अनुच्छेद 16(1) के अधीन वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, तो इससे अनुच्छेद 335 में सन्निविष्ट आदेश विफल हो जाएगा।

फिर भी न्यायमूर्ति सर्वश्री खन्ना, गुप्ता और बेग के अल्पमत निर्णयों में बहुमत के इस विचार पर बड़ी आपत्तियां उठाई गई कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने यह तर्क सामने रखा कि अनुच्छेद 16(4) का सर्वोपरि खण्ड बताता है कि यदि इस व्यवस्था के लिए यह उपबन्ध नहीं होता तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुज्ञेय नही हो सकता था। आगे, यदि अनुच्छेद 16(1) विशेष बर्ताव की इजाजत देता भी है, तो भी अनुच्छेद 16(4) शामिल किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यदि समानता की परिकल्पना में, जो अनुच्छेद 16(4) के अधीन अनुज्ञेय है उसके आगे अतिचार की अनुमति दी गई, तो इनका अर्थ यह होगा कि योग्यता की सर्वश्रेष्ठता सेवाओं की दक्षता और सरकारी नियोजन के क्षेत्र में भेदभाव रहित आदर्श स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाएंगे।

इस पर न्यायमूर्ति बेग और गुप्ता के विचार लगभग समान थे।

सार रूप में, इन तीन न्यायाधीशों की राय में, अनुच्छेद 16(1) का उद्देश्य योग्यता और दक्षता के दावों को सुरक्षित रखने का है। इससे अपने आप हीं सामाजिक, आर्थिक असमानताओं को दूर करने का आशय नहीं निकल सकता।

अधिकथित प्रतिपादना :- यदि राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की नीति इस प्रकार स्वीकार नहीं करता कि यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 16(4) के कार्य-क्षेत्र में आ जाए, बल्कि ऐसी योजना स्वीकार करता है, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वरीयता देती है, तो भी न्यायालय इसकी अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अधीन ''उचित वर्गीकरण'' शीर्षक के अधीन परिपुष्टि कर सकता है। फिर भी, यह तरजीह असीमित मात्रा में नहीं दी जा सकती, राज्य इन वर्गों को ''प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकताओं'' के अनुरूप हीं तरजीह दे सकता है। इस प्रकार पिछड़े वर्गों को तरजीह देते समय जिन दो बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे है (1) सेवाओं में उनका कम प्रतिनिधित्व होना और (2) यह तरजीह ''अनुसूचित'' नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनके लिए नियमों के उचित ढील की इजाजत है, ''अनुचित'' ढील की नहीं।